उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

संख्या:: 81/03/E-5/डी.आर./रा0उ0नि0/2022–23 दिनाँक :: 10 नवम्बर, 2022

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह–'ग' के अन्तर्गत **"राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022"** के प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 14.10.2022 के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित राजस्व उप निरीक्षक पटवारी/लेखपाल परीक्षा हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु वर्तमान में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित **राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022** के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने में आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 को उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन पत्र में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी हेतु 28 वर्ष 00 माह 01 दिन तथा राजस्व उप निरीक्ष लेखपाल हेतु 35 वर्ष 00 माह 01 आ रही है, जिस कारण वे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पा रहे है।

उक्त सभी अभ्यर्थियों को रिट याचिका संख्या 2084 ऑफ 2022 (एस/एस) विवेकानन्द ओझा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.11.2022 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत **ऐसे सभी अभ्यर्थी जो उपरोक्त कारण से "राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022"** हेतु आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए। उक्त सभी अभ्यर्थीगण दिनांक 20 नवम्बर, 2022 तक आयोग की वेबसाइट–**psc.uk.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव